

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2016.....33..... /पटना, दिनांक.....23/03/17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा एवं समस्तीपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-3454 के राज्य योजना बजट उपशीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के स्वीकृत्यादेश संख्या-1211 दिनांक 24.06.2016 के आलोक में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पदों की अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु0 46,500/- (छियालीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-2793 दिनांक04.04.2016 एवं पत्रांक-एम--09/2014-4572वी दिनांक 03.06.2016 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालन्दा एवं समस्तीपुर होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 एवं पत्रांक-5294, दिनांक 17.06.15 में उल्लेखित निदेश



के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या-1211, दिनांक- 24.06.2016 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा के विरुद्ध सृजित पदों के अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।


बजट


सहायक


प्रशाखा

पदाधिकारी



सहायक

निदेशक


व०संयुक्त

निदेशक


विश्वासभाजन


निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक33...../पटना, दिनांक23-03-17

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक

ज्ञापांक33...../पटना, दिनांक23-03-17

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक33...../पटना, दिनांक.....23-03-17

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।


निदेशक

